संख्या-25 /2024/ 2079/23-6-24 /23-10099(099)/57/2024

प्रेषक,

शिव कुमार,
अनु सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

प्रमुख अभियंता (विकास) एवं विभागाध्यक्ष,
लोक निर्माण विभाग,
उ0प्र0 लखनऊ।

लोक निर्माण अनुभाग-6 लखनऊ: दिनांक 05 दिसम्बर, 2024

विषय:- वित्तीय वर्ष 2024-2025 में जनपद श्रावस्ती में बाढ/अतिवृष्टि से क्षतिग्रस्त भिनगा इकौना मार्ग का राप्ती नदी पर अन्धरपुरवा सेतु पर निर्मित गाइड बन्ध के मरम्मत कार्य हेतु प्रशासकीय स्वीकृति के संबंध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक कार्यालय प्रमुख अभियन्ता (सेतु विंग) उ0प्र0 लोक निर्माण विभाग, लखनऊ के पत्र संख्या-1073/मरम्मत प्रा0आ0-अन्धरपुरवा/श्रावस्ती/सेतु-3/24, दिनांक 21.10.2024 का कृपया सन्दर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें।

2- इस सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि वित्तीय वर्ष 2024-2025 में जनपद श्रावस्ती में बाढ/अतिवृष्टि से क्षतिग्रस्त भिनगा इकौना मार्ग का राप्ती नदी पर अन्धरपुरवा सेतु पर निर्मित गाइड बन्ध के मरम्मत कार्य हेतु लागत रू0 773.73 लाख की प्रशासकीय स्वीकृति निम्न विवरणानुसार तथा निम्नलिखित शर्तो एवं प्रतिबन्धों सहित श्री राज्यपाल सहर्ष प्रदान करते है :-

(धनराशि लाख रू0 में)

क्र0 सं0	कार्य का विवरण	परीक्षणोपरान्त आंकलित लागत (रू0 लाख में)	कार्यदायी संस्था
1	जनपद श्रावस्ती में बाढ/अतिवृष्टि से क्षतिग्रस्त भिनगा इकौना मार्ग के राप्ती नदी पर अन्धरपुरवा सेतु पर निर्मित गाइड बन्ध का मरम्मत कार्य ।	655.70	लोक निर्माण विभाग
2	जी0एस0टी0 (क्रम सं0-1 की लागत का 18 प्रतिशत)	118.03	
3	कुल योग (1+2)	773.73	

नियम व शर्तें/ प्रतिबन्धों

(1) प्रश्नगत कार्य की द्विरावृत्ति को रोकने की दृष्टि से प्रमुख अभियंता (विकास) एवं विभागाध्यक्ष, लो0नि0वि0, लखनऊ द्वारा सुनिश्चित किया जायेगा कि उक्त कार्य पूर्व में किसी अन्य योजना/कार्यक्रम के अन्तर्गत न तो स्वीकृत है और न वर्तमान में किसी अन्य योजना/कार्यक्रम में आच्छादित किया जाना प्रस्तावित है। यदि द्विरावृत्ति पायी जाय तो उस स्वीकृति को निरस्त करते हुए संबंधित कार्य पर आवंटित धनराशि शासन को तत्काल समर्पित की जाय।

(2) प्रश्नगत कार्य को उस समय तक प्रारम्भ न किया जाय और न ही उन पर कोई व्यय भार लिया जाय जब तक कि स्वीकृत लागत के अन्तर्गत विस्तृत आगणन गठित कर उस पर सक्षम अधिकारी द्वारा प्राविधिक स्वीकृति प्रदान न कर दी जाय। यदि यह कार्यवाही सुनिश्चित नहीं की जाती है तो समस्त उत्तरदायित्व संबंधित मुख्य अभियंता/अधीक्षण अभियंता/ अधिशासी अभियंता का होगा।

(3) लेबर सेस की एक प्रतिशत धनराशि इस शर्त के अधीन होगी कि श्रम विभाग को उक्त धनराशि का भुगतान किया जायेगा।

1- यह शासनादेशइलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.inसे सत्यापित की जा सकती है ।

(4) प्रमुख अभियंता (विकास) एवं विभागाध्यक्ष, लो0नि0वि0, लखनऊ द्वारा यह सुनिश्चित किया जायेगा की परियोजना में जी0एस0टी0 की धनराशि समय-समय पर स्वीकृति/आवंटित की जा रही धनराशि के सापेक्ष नियमानुसार जमा की जायेगी।

(5) प्रश्नगत कार्यों हेतु आवंटित धनराशि का उपयोग प्रत्येक दशा में 31 मार्च, 2025 तक कर लिया जाय। कार्य सम्पादन के अनुरूप उपयोगिता प्रमाण पत्र दिनांक 30 अप्रैल 2025 तक शासन को निश्चित रूप से उपलब्ध करा दिया जाय।

(6) प्रश्नगत कार्य हेतु आवंटित धनराशि के सापेक्ष व्यय, वित्त विभाग द्वारा निर्गत आदेशों/ज्ञापों में उल्लिखित शर्तों के अनुसार बजट मैनुअल एवं वित्तीय हस्तपुस्तिका के नियमों, स्थायी आदेशों आदि में किये गये प्राविधानों का अनुपालन सुनिश्चित करते हुए किया जाय तथा किसी भी दशा में प्रश्नगत कार्य हेतु आवंटित धनराशि का उपयोग किसी अन्य मद में न किया जाय।

(7) यह सुनिश्चित किया जाय कि जिन प्रयोजनों हेतु धनराशि स्वीकृत हुई है वह उसी प्रायोजन हेतु व्यय की गयी है। विभाग द्वारा यह भी सुनिश्चित किया जाय कि कार्य की स्वीकृति प्राप्त होने के बाद कार्य की अव्यवहारिकता दर्शाते हुए स्वीकृति निरस्त न हो।

(8) प्रश्नगत कार्य निर्धारित व अनुमोदित मानकों एवं विशिष्टियों के अनुरूप सम्पादित कराये जाय ताकि उच्च गुणवत्ता सुनिश्चित हो सके। यदि किसी अपरिहार्य परिस्थितिवश निर्धारित मानकों/विशिष्टियों में परिवर्तन किया जाना अपेक्षित हो तो, उक्त परिवर्तन/विचलन शासन की पूर्वानुमति से ही किया जाय। प्रमुख अभियंता (विकास) एवं विभागाध्यक्ष, लो0नि0वि0, लखनऊ द्वारा सुनिश्चित किया जायेगा कि आगणन में किसी भी प्रकार की त्रुटि न होने पाये।

(9) विभाग द्वारा यथावश्यक वैधानिक अनापत्तियां एवं पर्यावरणीय क्लियरेन्स नियमानुसार सक्षम स्तर से प्राप्त करके ही निर्माण कार्य प्रारम्भ किया जायेगा।

(10) प्रायोजनान्तर्गत यदि वन भूमि से संबंधित कार्य प्रस्तावित किया जाता है तो इस संबंध में आवश्यक वैधानिक अनापत्ति प्रमाण पत्र प्राप्त किया जाना आवश्यक होगा।

(11) प्रमुख अभियंता (विकास) एवं विभागाध्यक्ष, लोक निर्माण विभाग, लखनऊ द्वारा वित्त विभाग के कार्यालय ज्ञाप सं0-1/2024/बी-1-294/दस-2024-231/2024, दिनांक 04.03.2024 द्वारा सुसंगत शासनादेश का अक्षरश: अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

3- प्रश्नगत कार्य पर होने वाला व्यय वित्तीय वर्ष 2024-25 में राज्य योजना (सामान्य) के अनुदान संख्या-57 के अन्तर्गत लेखाशीर्षक-3054-सडक तथा सेतु-04-जिला तथा अन्य सडकें-800 अन्य व्यय-04 पुलों का अनुरक्षण और मरम्मत-29-अनुरक्षण मद में शासनादेश संख्या-80/2024/608/001-608-2024-23-10002-002-14-2024, दिनांक 08 मई, 2024 द्वारा प्रमुख अभियन्ता (विकास) एवं विभागाध्यक्ष, लो0नि0वि0 के निवर्तन पर रखी गयी धनराशि में से वहन किया जायेगा तथा उक्त कार्य के नामे डाला जायेगा।

4- यह आदेश वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय ज्ञाप संख्या-1/2024/बी-1-294/ दस-2024-231/2024, दिनांक 04 मार्च, 2024 में प्रशासकीय विभाग को प्रतिनिधानित अधिकार के अन्तर्गत निर्गत किये जा रहे हैं।

भवदीय,

(शिव कुमार)
अनु सचिव।

<u>संख्या एवं दिनांक तदैव</u>

प्रतिलिपि निम्नलिखि को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

1- महालेखाकार, प्रथम (निर्माण), उ0प्र0, प्रयागराज ।
2- मण्डलायुक्त, देवीपाटन मण्डल/ जिलाधिकारी, श्रावस्ती ।
3- मुख्य अभियन्ता, लोक निर्माण विभाग, गोण्डा ।
5- मुख्य अभियन्ता (सेतु) लोक निर्माण विभाग, लखनऊ ।
6- वित्त (व्यय नियंत्रण) अनुभाग-8 ।

1- यह शासनादेशइलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.inसे सत्यापित की जा सकती है ।

7- राज्य योजना आयोग अनुभाग-1/2 ।
8- संबंधित कोषाधिकारी।
9- गार्ड फाइल ।

आज्ञा से,

(शिव कुमार)
अनु सचिव।

1- यह शासनादेशइलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.inसे सत्यापित की जा सकती है ।